रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2013/फाल्गुन 30, 1934
No. 49] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2013/PHALGUNA 30, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

समापन अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2013

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जाँच ।

फा. सं. 14/6/2011-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 तथा उसके अंतर्गत बने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए:

2. यतः, मै0 डब्ल्यू एस इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि0, मै0 मार्डन इन्सुलेटर्स लि0, मै0 इन्सुलेटर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी और मै0 आदित्य बिरला नुवो लि0 ने, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार चीन जन गण (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स (जिसे एतद्पश्चात विचाराधीन उत्पाद और/या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की जाँच प्रारम्भ करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है ।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

3. वर्तमान जाँच के उद्देश्यों के लिए विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित पोर्सिलीन/सिरैमिक अथवा ग्लास का बना असेम्बल किया गया अथवा असेम्बल न किया गया इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर है । पोर्सिलीन/सिरैमिक अथवा ग्लास इन्सुलेटरों को सीमाशुल्क प्रशुल्क

अधिनियम के अध्याय 85 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्ष 8546 के तहत वर्गीकृत किया गया है । विचाराधीन उत्पाद का दायरा भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 09 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं0 14/6/2011-डीजीएडी में यथापरिभाषित है । इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्त्ता द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना है ।

जांच की अवधि

4. वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए जाँच की अवधि (पी ओ आई) 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 है । तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के लिए उससे पहले के तीन वर्षों के आंकड़ों अर्थात अप्रैल 08- मार्च, 09, अप्रैल 09 - मार्च 10, अप्रैल 10 - मार्च 11 तथा जाँच की प्रस्तावित अवधि के आंकड़ों पर विचार किया गया है । वास्तविक क्षति की चुनौती के लिए जाँच की अवधि के परे के आंकड़ों की भी जाँच की गई है ।

घरेलू उद्योग

5. यह याचिका डब्ल्यू एस इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, मार्डन इन्सुलेटर्स लि0, इन्सुलेटर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी; और आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड द्वारा दायर की गई है । भारत में विचाराधीन उत्पाद के कई अन्य उत्पादक भी हैं । प्राधिकारी ने नोट किया कि मार्डन इन्सुलेटर्स लिमिटेड; इन्सुलेटर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी; और आदित्य बिरला नुवो लि0 ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है । प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि डब्ल्यू एस इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड ने वर्तमान जाँच की जांच अवधि (पी ओ आई) जो कि 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक है, के दौरान काफी आयात किया है । अतः प्राधिकारी ने डब्ल्यू एस इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड को कम्पनी द्वारा किए गए भारी आयातों को देखते हुए उसे एक अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना है । प्राधिकारी ने पुनः यह नोट किया है कि बाकी बचे तीन याचिकाकर्त्ताओं अर्थात मॉर्डन इन्सुलेटर्स लि0; इन्सुलेटर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी और आदित्य बिरला नुवो लि0 का जाँच की अवधि के दौरान का कुल उत्पादन, भारतीय उत्पादन से डब्ल्यू एस इण्डस्ट्रीज के उत्पादन का अपवर्जन कर देने के बाद, 67% बनता है । अतः प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन तीनों याचिकाकर्त्ताओं को वर्तमान याचिका दायर करने का आधार है और वे पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उत्पाद बनते हैं ।

प्रक्रिया

6. इस जाँच के संबंध में अधोलिखित प्रक्रिया का पालन किया गयाः

(i) प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 9 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस सं0 14/6/2011-डीजीएडी जारी किया; संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा एवं उसके प्रभावों का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो यदि अधिरोपित की जाती तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होती, के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटनरोधी जाँच प्रारम्भ की ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

TERMINATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2013

Subject : **Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of 'Electrical Insulators' originating in or exported from China PR.**

F. No. 14/6/2011-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

2. Whereas, M/s WS Industries (India) Ltd.; M/s Modern Insulators Limited; M/s Insulators and Electrical Company; and M/s Aditya Birla Nuvo Ltd filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules,1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti-dumping duty investigation concerning imports of electrical Insulators (hereinafter also referred to as the product under consideration and/or the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

Product Under Consideration And Like Article

3. The product under consideration for the purpose of present investigation is "Electrical Insulators made of porcelain/ceramic or glass, whether assembled or unassembled" originating in or exported from China PR. Porcelain/ceramic or Glass Insulators are classified under customs heading 8546 under Chapter 85 of the Customs Tariff Act. The scope of the product under consideration is as defined in the Public Notice No. 14/6/2011-DGAD dated 9th April, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary. Further, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the petitioners in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Period Of Investigation

4. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is from 1st January, 2011 to 31st December, 2011. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e., Apr'08-Mar'09, Apr'09-Mar'10, Apr'10-Mar'11 and the proposed period of investigation has been considered. For threat of material injury, the data beyond the POI was also to be examined.

1203 GI/13-2

Domestic Industry

5. The petition has been filed by WS Industries (India) Ltd., Modern Insulators Limited; Insulators and Electrical Company; and Aditya Birla Nuvo Ltd. There are a number of other producers of the product under consideration in India. The Authority noted that Modern Insulators Limited; Insulators and Electrical Company; and Aditya Birla Nuvo Ltd have certified that they have not imported the product under consideration during the period of investigation. The Authority also noted that WS Industries (India) Ltd has made significant imports during the period of investigation (POI) in the present investigation which is from 1st January, 2011 to 31st December, 2011. The Authority, therefore, considered WS Industries (India) Ltd as ineligible domestic industry in view of significant imports made by the company. The Authority further noted that the total production of the remaining three petitioners, viz., Modern Insulators Limited; Insulators and Electrical Company and Aditya Birla Nuvo Ltd during the Period of Investigation (POI) is 67% after excluding production of WS Industries from Indian production. The Authority, therefore, concluded that these three petitioners have standing to file the present petition and constitute the Domestic Industry within the meaning of the Anti Dumping Rules.

Procedure

6. The procedure given below has been followed with regard to the investigation:

(i) The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioners issued a Public Notice No. 14/6/2011-DGAD dated 9th April, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiated anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in accordance with the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

(ii) The Authority sent copies of the Public Notice dated 9th April, 2012 to the Embassy of the subject country in India, known exporters from the subject country and known importers in India, as per the information available with it. Copy of the non-confidential version of the application filed by the petitioners was also made available to the Embassy of the subject country in India, known exporters and importers in accordance with the AD Rules. Further, the copy of the Exporter's Questionnaire along with the Market Economy Questionnaire; and the copy of the Importer's Questionnaire was sent to the known exporters and known importers in India respectively with a request to file the questionnaires' responses and make their views known in writing within the prescribed time limit.

(iii) The Embassy of the subject country was also advised to bring it to the notice of the other exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.

(iv) Responses to the questionnaire were received from various interested parties including exporters from the subject country.

(v) Exporters, producers and other interested parties who neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.

(vi) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigations, which was received by the Authority.

Request For Change In The Period Of Investigation

7. The petitioners during the course of investigation filed request for change in the period of investigation on the following grounds:

a. The volume of imports from the subject country has significantly increased after the last investigation period considered by the Authority (i.e., from 1st January, 2011 to 31st December, 2011).

b. The import price has very steeply declined after the last investigation period.

c. In PGCIL tenders, the Chinese bidders have further reduced the prices in successive tenders which further has aggravated the injury to the domestic industry.

d. The extent of injury in the recent period is phenomenally higher than the injury margin that has prevailed during the period of investigation considered by the Authority.

e. The domestic industry is suffering injury to the extent of 50-70% and even the present safeguard duty of 35% may not fully address the injury suffered by the domestic industry. Further, should the Designated Authority continue with the present investigation period, the protection under dumping and safeguard shall not exceed the injury margin in these periods. However, the extent of injury in the recent period is phenomenally higher than the injury margin that has prevailed during the period considered by the Authority.

f. In view of the above, it is requested to modify the investigation period and consider January, 2012 – December, 2012 as the investigation period for the present purposes.

Examination by the Authority

8. The Authority, after considering the request of the petitioner, issued a letter dated 5th February, 2013 to the petitioners stating that after the initiation a large number of interested parties including exporters of Electrical Insulators from China have responded and their responses are under examination; that the petitioners have requested to change the period by one full year; that change in period of investigation would mean that the Authority not only has to examine afresh the new data for the dumping and injury analysis but also to allow all the interested parties a fresh opportunity to again submit their responses to the new data for the amended period of investigation and that, therefore, the petitioners could withdraw the petition and file fresh petition with new data for the amended period of investigation.

Request For Withdrawal Of Investigation

9. The petitioner domestic industry, vide their letter dated 27.02.2013, has requested the Authority to treat the petition filed by them for anti-dumping investigation against imports of electrical insulators originating in or exported from China PR as withdrawn with a liberty to resubmit the same with new data for the fresh period of investigation.

Recommendation

10. Therefore, under the provisions of Rule 14(a) of the Rules supra, the Designated Authority hereby terminates this investigation which was initiated vide Notification No. 14/6/2011-DGAD dated 9th April, 2012 against imports of Electrical Insulators originating in or exported from China PR.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(ii) प्राधिकारी ने, उनके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 9 अप्रैल, 2012 की सार्वजनिक सूचना की प्रतियाँ, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों तथा भारत के ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध देशों के राजदूतावासों को भेजीं । याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतियाँ पाटनरोधी नियमावली के अनुसार भारत में संबद्ध देश के राजदूतावास; ज्ञात निर्यातकों तथा आयातकों को भेजीं । इसके अतिरिक्त, भारत में ज्ञात निर्यातकों और ज्ञात आयातकों को निर्यातक प्रश्नावली की प्रतियाँ, बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली की प्रतियाँ तथा आयातक प्रश्नावली की प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे उन प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दर्ज करें तथा अपने विचारों से निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत अवगत कराएं ।

(iii) संबद्ध देश के राजदूतावास को भी यह सुझाव दिया गया कि वह इसे संबद्ध देश के अन्य निर्यातकों/उत्पादकों की जानकारी में लाएं जिससे कि वे निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्रश्नावली का जवाब दे सकें ।

(iv) संबद्ध देश से निर्यातकों सहित कई हितबद्ध पक्षकारों से प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर प्राप्त हुए;

(v) उन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने न तो प्राधिकारी को कोई उत्तर दिया और न ही इस जाँच से संबंधित कोई संगत जानकारी प्रस्तुत की, प्राधिकारी द्वारा असहयोगकर्ता हितबद्ध पक्षकार के रूप में मान लिया गया ।

(vi) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एण्ड एस) से संबद्ध वस्तु की जाँच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आयातों के आंकड़ों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए ।

जाँच की अवधि में परिवर्तन करने का अनुरोध

7. याचिकाकर्त्ताओं ने, जाँच की अवधि के दौरान निम्नलिखित आधार पर जाँच की अवधि में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध दर्ज किया:

(क) प्राधिकारी द्वारा विचारित पिछली जाँच अवधि (अर्थात 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 तक) के पश्चात संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई ।

(ख) विगत जाँच अवधि के पश्चात आयात कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आई है ।

(ग) पी जी सी आई एल निविदाओं में, चीन के बोलीदाताओं ने उत्तरवर्ती निविदाओं में कीमतों को और अधिकतम कर दिया जिससे घरेलू उद्योग को क्षति और अधिक बढ़ गई ।

(घ) अभी हाल की अवधि में क्षति की सीमा, प्राधिकारी द्वारा विचार की गई जाँच की अवधि के दौरान प्रचलित क्षति मार्जिन से कहीं अधिक है ।

(ङ) घरेलू उद्योग को 50 - 70% की क्षति हो रही है और 35% का वर्तमान रक्षोपाय शुल्क भी घरेलू उद्योग की क्षति को पूरी तरह से दूर करने में समर्थ नहीं है । इसके अतिरिक्त, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी, वर्तमान जाँच अवधि के साथ अपनी जाँच जारी रखते हैं तो पाटन एवं

रक्षोपाय के अंतर्गत संरक्षण इस अवधि में क्षति मार्जिन से अधिक नहीं होगा । तथापि, अभी हाल ही की अवधि में क्षति की सीमा प्राधिकार द्वारा विचार की गई अवधि के दौरान प्रचलित क्षति मार्जिन से काफी अधिक है ।

(च) उपर्युक्त के मद्देनजर, जाँच की अवधि में संशोधन किए जाने और वर्तमान उद्देश्यों के लिए जाँच अवधि जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक किए जाने का अनुरोध किया जाता है ।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

8. प्राधिकारी ने, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने के पश्चात, याचिकाकर्ताओं को 5 फरवरी, 2013 को एक पत्र जारी किया जिसमें उल्लेख किया गया कि जाँच प्रारम्भ होने के पश्चात, भारी संख्या में हितबद्ध पक्षकारों ने, जिनमें चीन से इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स के निर्यातक भी शामिल हैं, प्रत्युत्तर दिया है और उनके प्रत्युत्तरों की इस समय जाँच की जा रही है; यह कि याचिकाकर्त्ताओं ने जाँच की अवधि में पूरे एक वर्ष का अंतर करने का अनुरोध किया है; यह कि जाँच की अवधि में परिवर्तन करने का आशय यह होगा कि प्राधिकारी को पाटन एवं क्षति विश्लेषण के लिए न केवल नए आंकड़ों की फिर से जाँच करनी होगी बल्कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को जाँच की संशोधित अवधि के नए आंकड़ों के संबंध में अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए फिर से अवसर प्रदान करने हेतु अनुमति देनी होगी और यह कि, इसलिए याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले सकते हैं तथा संशोधित जाँच अवधि के लिए नए आंकड़ों युक्त नई याचिका दायर कर सकते हैं ।

जाँच की वापसी के लिए अनुरोध

9. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने, अपने दिनांक 27.02.2013 के पत्र के तहत प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वह चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटरों के संबंध में पाटनरोधी जाँच के लिए उनके द्वारा दायर की गई याचिका को वापस ली हुई मानें और उन्हें जाँच की नवीन अवधि के लिए आंकड़ों सहित नई याचिका पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

सिफारिश

10. अतः प्राधिकारी नियम 14(क) तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत, चीन जन गण के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटरों के आयात के संबंध में 9 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना सं0 14/6/2011-डीजीएडी के तहत शुरू की गई जाँच एतद्द्वारा समाप्त करते हैं ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी